



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 876]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 24, 2003/आश्विन 2, 1925

No. 876]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 24, 2003/ASVINA 2, 1925

वित्त मंत्रालय

(कंपनी कार्य विभाग)

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2003

का.आ. 1098(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (कंपनी कार्य विभाग) की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 19 जून, 2003 के पृष्ठ 1 पर प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 715 (अ) तारीख 19 जून, 2003 में, (क) पंक्ति 1 में “अधिनियम, 2003” के स्थान पर “अधिनियम, 2002” पढ़ें।

(ख) पंक्ति 2 में “होगी अर्थात्” के स्थान पर “होगी, अर्थात्” पढ़ें।

[फा. सं. 1/8/2003-सीएल-V]

राजीव महर्षि, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Company Affairs)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 24th September, 2003

S.O. 1098(E).—In the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Company Affairs) vide S.O. 715(E) dated 19th June, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 19th June, 2003,—(a) in serial number (1) for “(i)” read “(I)”;

(b) in serial numbers (1) and (24) for “clause” read “clauses”.

[F.No. 1/8/2003-CL-V]

RAJIV MEHRISHI, Jt. Secy.